।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० ...1/38 तारीख रज्जू 22/12/21

01– भोलाशंकर रामानी पुत्र चेतीदेवी रामानी निवासी बहादरपुर

–प्रार्थी

बनाम

01– उपतहसीलदार, बहादरपुर –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक: 10.01.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला के ज्ञानचन्द पुत्र फूलूमल कौम खत्री साकिन देह गैरखातेदार थे जिन्होने जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.09.1995 को मूलचन्द पुत्र गोपालमल कौम सिन्धी को बेचान कर दिया जिसका इंतकाल संख्या 29 दिनांक 18.09.1995 मूलचन्द पुत्र गोपालमल के नाम दर्ज होकर मंजूर हुआ है। उक्त साबिक खसरा नम्बर 482 मि. रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.05.1996 को मूलचन्द पुत्र गोपालमल सिन्धी बहादरपुर ने चेतीदेवी रामानी बेवा हस्सूमल रामानी बहादरपुर को 110500/– रूपये (शब्देन एक लाख दस हजार पॉच सौ रूपये) में बेचान करा दिया। जिसका इंतकाल संख्या 51 दिनांक 26.07.1996 चेतीदेवी बेवा हस्सूमल के नाम दर्ज व मंजूर हुआ है।

ज्ञानचन्द पुत्र फूलूमल कौम खत्री ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के यहां आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा दुरूस्ती बाबत पेश कर निवेदन किया कि बिशनामल पुत्र आसनमल के नाम 2

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

बीघा आराजी एवं मेरे नाम 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी सैटलमेन्ट कर्मचारीयान द्वारा दर्ज की गई जो वो गलत है जबकि पूरी आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा मेरे नाम दर्ज होनी चाहिए थी सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने ज्ञानचन्द पुत्र फूलूमल का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.1994 को खारिज कर दिया। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30.07.1994 के विरूद्ध एक अपील ज्ञानचन्द पुत्र फूलूमल ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के यहां बउनवान ज्ञानमल बनाम बिशनामल पेश की। जिसका निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 08.06.1995 को प्रार्थी ज्ञानमल की अपील स्वीकार की गई। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के निर्णय के विरूद्ध बिशनामल पुत्र आसनमल ने न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के यहां अपील बउनवान बिशनामल बनाम ज्ञानमल पेश की जो कि दिनांक 25.10.1997 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर के यहां से अपील खारिज हो जाने के कारण भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर का निर्णय दिनांक 08.06.1995 आज दिनांक तक प्रभावी है।

जमाबन्दी सम्वत 2020 में ज्ञानचन्द वल्द फूलूमल कौम खत्री साकिन देह गैरखातेदार आराजी खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा अंकित है। सम्वत 2051 दौरान सैटलमेन्ट उक्त खसरा नम्बर 482 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.82 है० कायम हुए है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069–2074 में काश्तकार के नाम के कॉलम में चेतीदेवी रामानी पत्नी स्व० हस्सूमल रामानी हिस्सा 5/13 जाति सिन्धी साकिन देह खातेदार व बिशनामल पुत्र आसनमल हिस्सा 8/13 जाति खत्री साकिन देह खातेदार अंकित किया हुआ है। प्रार्थी ने बिशनामल पुत्र आसनमल हिस्सा 8/13 (2बीघा) को बिशनामल के नाम से हटाकर चेतीदेवी बेवा हस्सूमल के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपतहसीलदार बहादरपुर से रिपोर्ट तलब की गई। उपतहसीलदार, बहादरपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम बहादुरपुर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पट्टी कटला की भू प्रबन्ध सैटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2051 के खाता संख्या 293 में खसरा नम्बर 482 रकवा 3 बीघा 5 बिस्वा, बिशनामल पुत्र आसनमल कौम खत्री हिस्सा 2 बीघा, ज्ञानमल पुत्र फूलूमल कौम खत्री हिस्सा 1 बीघा 5 बिस्वा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला की जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 के खाता संख्या 306 में खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.82 है० विशनामल पुत्र आसनमल कौम खत्री हिस्सा 2 बीघा चेतीदेवी रामानी बेवा हस्सूमल रामानी कौम सिन्धी साकिन देह खातेदार हिस्सा 1 बीघा 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है, जबसे लगातार यही दर्ज होता चला आ रहा है।

प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी को सुना। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी ने बिशनामल पुत्र आसनमल हिस्सा 8/13 (2बीघा) को बिशनामल के नाम से हटाकर चेतीदेवी बेवा हस्सूमल के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा फोटोकापी नकल फैसला सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर दिनांक 30.07.1994, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर निर्णय दिनांक 08.06.1995, न्यायालय भू प्रबन्ध आयुक्त, जयपुर निर्णय दिनांक 25.10.1997, नकल बैयनामा दिनांक 13.05.1996 जमाबन्दी सम्वत 2069–2074, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत 2020, 2069–2072, सैटलमेन्ट 2051–2070, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2051, नामान्तकरण संख्या 29 एवं 51 पर मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपतहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट, मुताबिक निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर दिनांक 08.06.1995 के आधार पर बिशनामल पुत्र आसनमल का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर चेतीदेवी रामानी पत्नी स्व० श्री हस्सूमल रामानी का नाम, इंतकाल संख्या 51 दिनांक 26.07.1996 जो चेतीदेवी पत्नी स्व० श्री हस्सूमल के नाम दर्ज एवं मंजूर हुआ है का अमल कागजात माल जमाबन्दी में किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अतः उपतहसीलदार बहादरपुर को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी, अलवर दिनांक 08.06.1995 के आधार पर बिशनामल पुत्र आसनमल का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर चेतीदेवी रामानी पत्नी स्व० श्री हरसूमल रामानी का नाम, इंतकाल संख्या 51 दिनांक 26.07.1996 जो चेतीदेवी पत्नी स्व० श्री हरसूमल के नाम दर्ज एवं मंजूर हुआ है का अमल कागजात माल जमाबन्दी हाल आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.82 है० वाके ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला में दर्ज करे। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)